

CORRIDOR SHEET

JUDICIAL MAGISTRATE FIRST CLASS

Date of
order of
Proceeding

Order or Proceeding with Deputy Magistrate Presiding Officer

20 के 0 गुप्ता

Case No. of 20

600 284/16

Signature of
Parties of
pleaders where
Necessary

31/10/16

आज आरक्षी केन्द्र 20 के 0 के
उपनिरीक्षक / प्रधान उपनिरीक्षक / सहायक
क्र 895 द्वारा थाना प्रमारी की ओर से अपराध
क्र 34 अंतर्गत धारा
भा 0 दंड 0 सं 0 / 34 अधिनियम के अधीन दण्डनीय
अपराध के संबंध में अभियुक्त / अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोग
पत्र / परिवाद पत्र प्रस्तुत किया गया।

राज्य द्वारा ए 0 डी 0 र्फ 0 ओ 0 श्री उप 0।

अभियुक्त / अभियुक्तगण सुकुलाल डी. चंनमिहं
निवासी / निवासगण राजपपुरा
थाना लुडोयि जिला राज्य राजपपुरा
उपस्थित। अभियुक्त / अभियुक्तगण को ओर से अधिवक्ता
श्री ~~XXXXXX~~ द्वारा मेमोरेण्डम / वकालतनामा प्रस्तुत
किया।

अभियोग पत्र / परिवाद पत्र समयावधि के भीतर प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण में संज्ञान के विषय पर विचार किया गया। अभियोग पत्र / परिवाद पत्र व प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन से प्रथम दृष्टया अभियुक्त / अभियुक्तगण के विरुद्ध उपरोक्तानुसार भा 0 दंड 0 सं 0 / 34 अधिनियम के अधीन कार्यवाही किये जाने के आधार प्रकट हो रहे हैं। अतः अभियुक्त / अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 190-(1) दंड प्र 0 सं 0 के अधीन नज्ञान के तहत आदेश का आदेश किया जाता है।

प्रकरण का पंजीयन प्रकरण सं 0 600 284/16 में दर्ज किया जावे।

अभियुक्त / अभियुक्तगण 20 के 0 के अधीन प्रावधान प्रकाश में अभियोग पत्र पर न्यायिक प्रमाणों के अभाव में निलंबित किया जाता है।

द्वितीय न्यायिक प्रमाणों के अभाव में निलंबित किया जाता है।
न्यायिक प्रमाणों के अभाव में निलंबित किया जाता है।
न्यायिक प्रमाणों के अभाव में निलंबित किया जाता है।

गुप्तता

चूंकि मामला राक्षित विचारणीय है। अतः राक्षित विचारण प्रारम्भ किया गया। अभियुक्त/अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा भा0दं0सं0/ 34 under अधिनियम के अधीन अपराध की विशिष्टिया विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाये और समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना स्वेच्छया स्वीकार किया। अतः अभिवाक् यथा संभव उसके शब्दों में लेखबद्ध किया गया।

अभियुक्त/अभियुक्तगण की स्वेच्छया अपराध की स्वीकारोक्ति को ध्यान में रखते हुए निर्णय प्रथक से टंकित कराकर हस्ताक्षरित, दिनांकित, मुद्रांकित कर घोषित किया गया। अभियुक्त को उक्त अपराध के अधीन दोषसिद्ध करते हुए न्यायालय अवसान तक की अवधि के दण्ड एवं 500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में अभियुक्त को 07 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।

निर्णय की निःशुल्क प्रति अभियुक्त को प्रदान कर पावती ली जाये।

जप्तसुदा संपत्ति..... रुपये राजसात किये जायें। संपत्ति 500/- मूल्यहीन होने से नष्ट कर व्ययनित की जाये। जप्तसुदा वाहन की दशा में वाहन उसके स्वामी को लौटाया जाये। सुपुर्दगी की दशा में सुपुर्दगीनामा निरस्त किया जाता है तथा अपील की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशों का पालन हो।

प्रकरण का परिणाम आपराधिक पंजी में पंजीबद्ध कर विहित अवधि में अभिलेख संचयन हेतु आवश्यक प्रतिपूर्ति उपरांत अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

पुनश्च:

निर्णयानुसार अभियुक्त/अभियुक्तगण ने अर्थदण्ड की राशि

500/- रुपये अदा की जिसकी पावती बुक क0 5624 रसीद क0 1 दी गई। अभियुक्त/अभियुक्तगण को सजा भुगताई गई।

प्रकरण उपरोक्त निर्देश अनुसरण हो।

A.K. Gupta
Judicial magistrate first class,
Gohat Dist. Bhind (M.P.)